मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन</u>

<u>:: आदेश ::</u>

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2006

क्रमांक एफ 3–3 / 2004 / 56 :– राज्य शासन द्वारा शासकीय निविदाओं में इलेक्ट्रानिक टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1. वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल में इलेक्ट्रानिक टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के लिए संशोधन किए जाए ।
2. मध्य प्रदेश के सभी कार्य विभाग चरण बद्ध तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू इलेक्ट्रानिक टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम सम्बद्ध होंगे एवं भविष्य में मैनुअल टेंडरिंग व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा दस्तावेज एवं इसके साथ संलग्न ड्राइंग के लिए वर्तमान मूल्य (वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की कंडिका 2.076(1) (a) एवं (b)) को पेमेन्ट गेटवे अथवा सायबर ट्रेजरी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रावधान किया जाए ।
4. ठेकेदारों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज करने का प्रावधान है जिन्हें निविदा फार्म की बिक्री की गई हो (वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की मैनुअल कंडिका 2.076 (4)) कंडिका में ऑन लाईन डिजिटल सिगनेचर के माध्यम से हस्ताक्षर को रजिस्टर पर हस्ताक्षर के बराबर मान्यता दी जाए ।
5. निविदाओं को सील बंद लिफाफे में प्राप्त करने की प्रक्रिया (वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की कंडिका 2.077) में वर्तमान प्रक्रिया के साथ इलेक्ट्रानिक सिग्नेचर एवं एनक्रिप्शन के द्वारा हैश करने को सीलबंद लिफाफे के बराबर माना जाए ।

6 निविदा के लिए अमानत राशि (अरनेस्ट मनी डिपॉजिट) के प्रॉवधान (वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की कंडिका 2.079) में संशोधन कर पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी अमानत राशि प्राप्त करने को मान्यता दी जाए।

7. निविदा भरने वाले ठेकेदारों को निविदा खोलने के लिये निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहने का प्रॉवधान रखा गया है (वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल कंडिका 2.082)। इसके साथ ऑन लाईन उपस्थिति को भी मान्यता प्रदान की जाए ।

8. इलेक्ट्रानिक टेण्डरिंग का कार्य मध्यप्रदेश सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फरमेशन टेक्नालाजी (मैप आई.टी.) द्वारा किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग